

भूमि संरक्षण निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

Corrigendum of PR No 223023 (Agriculture) 2019-20* (D)

शुद्धि-पत्र सं०:- 23

-/राँची, दिनांक :- 16.01.2020

भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित ईच्छा की अभिव्यक्ति PR No.-223023(Agriculture) 19-20*(D) के आलोक में दिनांक 16.01.2020 को आयोजित प्री-बीड की बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित शुद्धि की जाती है।

1. ईच्छा की अभिव्यक्ति में जहाँ कहीं भी MANUFACTURE OR SINGLE AUTHORISED DEALER OF THE MANUFACTURE अंकित है के स्थान पर EITHER MANUFACTURE OR HIS SINGLE AUTHORISED DEALER पढ़ा जाय।
2. पावर टीलर के दर निर्धारण के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्र/दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही बीडर द्वारा अपना दर कोड किया जाएगा।
3. पावर टीलर, को छोड़कर अन्य यंत्रों के दर के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत SMAM Guidelines में निर्धारित अनुदान के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित Unit Cost को ध्यान में रखते हुए बीडर द्वारा दर कोड किया जाएगा एवं वैसे यंत्र जिनके Unit Cost का उल्लेख SMAM Guidelines में नहीं है उससे संबंधित बीडर द्वारा अपना न्यूनतम दर कोड किया जायेगा एवं दर का Justification अपने लेटर पैड पर वित्तीय बीड के साथ संलग्न करेंगे।
4. उक्त ईच्छा की अभिव्यक्ति की शेष कण्डिकाएँ यथावत रहेंगी।

ह०/-

निदेशक

भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची।